

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3) MSDP/M/ICDS /2015 / 141815-22 जयपुर, दिनांक: 24.10.16
उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
अलवर/भरतपुर/बाड़मेर/जैसलमेर/हनुमानगढ़
नागौर/टोंक/सवाईमाधोपुर।

विषय:-राज्य के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स/कस्बों हेतु एम.एस.डी.पी
के नवीन प्रस्ताव के संदर्भ में।

संदर्भ:-निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग
के पत्रांक 14143-61 दिनांक 03.10.2016 व बैठक कार्यवाही विवरण
दिनांक 10.08.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र व बैठक की कार्यवाही विवरण के क्रम में लेख है कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, नागौर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर जिलों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया था।


इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स/कस्बों में किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए नियमानुसार आवश्यक भूमि के पट्टे/मय एन.ओ.सी. के नवीन प्रस्ताव निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को सात दिवस में भिजवायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सकें तथा उसकी प्रति निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3) MSDP/M/ICDS /2015 / 141823-34 जयपुर, दिनांक: 24.10.16
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. संबधित जिला प्रभारी मुख्यालय।
4. एसीपी कम्प्यूटर सैल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर